

पराली दहन के वरिद्ध पंजाब का रणनीतिक प्रयास

स्रोत: TOI

पराली दहन की समस्या से निपटने के प्रयास को गति देने की दृष्टि में पंजाब सरकार द्वारा **बेलर मशीनों** के आयात की सुविधा प्रदान करके सब्सिडी वाली फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें (CRM) स्थापित की जा रही हैं।

- पंजाब का लक्ष्य **इन-सीट/स्वस्थाने और एक-सीट/बाह्य स्थाने CRM पद्धतियों** का विस्तार करके धान के 20 मिलियन मीटरकि टन अवशेषों/पराली का प्रबंधन करना है। गत वर्ष पराली दहन की घटनाएँ घटकर **35,000** के स्तर पर पहुँच गईं, जो कोविड-पूर्व स्तर से कम है।
- राज्य द्वारा इस सीज़न में 22,000 सब्सिडी वाली CRM मशीनें वितरित की जाएँगी, जो वर्ष 2018 से पूर्व प्रदान की गई 1,30,000 मशीनों के अतिरिक्त होंगी। CRM उपकरणों के लिये **किसानों को व्यक्तिगत तौर पर 50% सब्सिडी** दी जाती है, जबकि **सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन** और **पंचायतें 80% सब्सिडी** हेतु पात्र हैं।
- **नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय** के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने **उल्लंघन के लिये जुर्माना और पुलिस अधिकारियों के वरिद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई** सहित सख्त नियम लागू किये।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) से पराली दहन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।
 - न्यायालय ने **राज्य सरकारों को तत्काल फसल अवशेष अर्थात् पराली दहन पर रोक लगाने का निर्देश दिया**, साथ ही यह भी कहा कि पराली दहन के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक नहीं होनी चाहिये तथा इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी एवं संधारणीय कृषि के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये।

और पढ़ें: [पराली दहन पर रोक](#)